



प्रदूषण फैलाने वाली 4 आरएमसी परियोजनाओं पर कार्रवाई, अनाधिकृत निर्माण पर केस दर्ज...

वसई: नगर पालिका ने प्रदूषण फैलाने वाले राजमार्गों पर 4 सीमेंट कंप्रीट (आरएमसी) परियोजनाओं के अनाधिकृत निर्माण के मामले दर्ज किए हैं। ये अपराध महाराष्ट्र शहरी नियोजन का पालन नहीं किया जाता है। साथ ही अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत नायांग पुलिस स्टेनो में दर्ज होने के कारण इस फैलीटी से लातार धूल प्रदूषण हो रहा है। इस बढ़ती धूल और प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है और इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ने लगा है। प्रदूषण फैलाने वाली इन परियोजनाओं की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसी परियोजनाओं के खिलाफ नोटिस जारी किया था। वसई नगर पालिका के विशेष नियोजन प्राधिकार ने वह कार्रवाई की है। जिन परियोजनाओं को बुक किया गया है उनमें आरएमसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, स्काइलैंड आरएम ई इंफ्रा, एर्सई इंफ्रा और सुपर आरएमसी बुलडॉक्सन प्राइवेट शामिल हैं। लिमिटेड में 4 कंपनियां शामिल हैं।

मुंबई अहमदाबाद हाईकोर्ट पर चल रहे सिमट कंप्रीट के आरएमसी प्रोजेक्ट से भारी मात्रा में प्रदूषण पैदा हो रहा है। इन परियोजनाओं के खिलाफ सख्त



कार्रवाई शुरू कर दी है।

वसई विवार नगर नियम के विशेष योजना प्राधिकरण विभाग ने अनाधिकृत निर्माण के लिए राजमार्ग पर मालजीपाडा गांव में 9 में से 4 परियोजनाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, ये अपराध महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम की धारा 52, 53, 54 के तहत दर्ज किए गए हैं। 1966. जिन परियोजनाओं को बुक किया गया है उनमें आरएमसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, स्काइलैंड आरएम

इंफ्रा, एर्सई इंफ्रा और सुपर आरएमसी बुलडॉक्सन प्राइवेट शामिल हैं। लिमिटेड में 4 कंपनियां शामिल हैं। 2018 में, इन परियोजनाओं को महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धाराओं के तहत अधिसूचित किया गया था। हालांकि, उन्होंने कोई दस्तावेज जमा नहीं किया। नगर पालिका ध्वनि किए गए नियोजन में वह पाया गया कि परियोजनाओं का निर्माण अनधिकृत था और अवधारणा शीट शेड बनाए गए थे। इसीलिए विवार योजना प्राधिकरण के प्रभारी सहायक अयुक्त मोनान नाजरी ने बताया कि इन 4 परियोजनाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के बाद अन्य 5 प्रोजेक्टों पर भी केस दर्ज कराया जायेगा।

इन 4 परियोजनाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए थे

1) आरएमसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड

मालजीपाडा, सर्वे नंबर 52, शेयर नंबर, 1,2,4

कुल निर्माण- 67 हजार 436 वर्ग फीट

2) स्काइलैंड आरएम इंफ्रा

मालजीपाडा, मावाराम पटेल, नरेश नर और अन्य

कहां - मालजीपाडा, सर्वे नंबर 45/2,50/1

आरएमसी प्लाट में अनाधिकृत निर्माण कर पेपर शेड बनाया गया था।

कुल निर्माण- 58 हजार 400 फीट

3) एर्सई इंफ्रा

मालजीपाडा- पीयूष मेहता

कहां - मालजीपाडा, सर्वे नंबर 50, प्लॉट नंबर 1

कुल निर्माण- 61 हजार 864 वर्गफीट का निर्माण

4) सुपर आरएमसी बुलडॉक्सन प्रा. आप छक्कल

मालजीपाडा- सुरेश देवासी

कहां - मालजीपाडा, सर्वे नंबर 45 /1, 52/1,52/4

कुल निर्माण- 36 हजार 860 फीट

वसई/ डीएम पेटिट अस्पताल की पहली सफल ब्रेन सर्जरी



वसई : विवार वसई विवार शहर महानगरपालिका के सबसे पुराने अस्पताल डीएम पेटिट अस्पताल में पहली मस्तिष्क सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। इस सर्जरी ने वीवीसीएमसी से बड़ी बोमारी की सर्जरी का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब तक आरोप लगता था कि वीवीसीएमसी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, इस सफल सर्जरी ने मनपा के सिर पर एक रत जड़ दिया है। महानगर पालिका का सबसे पुराना अस्पताल डीएम पेटिट हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, जहां अब तक छोटी-बड़ी बोमारियों का इलाज होता था। साथ ही इस अस्पताल में प्रतिक्रिया करने वाली महिलाओं की भी भीड़ लगी रहती है। इस पृष्ठभूमि में, अस्पताल में पवली बार मस्तिष्क की सर्जरी की गई। महानगरपालिका के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लकवा मर गया।

पुणे में जनवरी से मार्च तक 382 हादसे, 92 लोगों की मौत !



पुणे: पुणे में सड़क हादसों की गंभीर समस्या एक बार फिर सामने आ गई है। इस साल जनवरी से मार्च तक शहर में 382 हादसे हो चुके हैं, जिनमें 92 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में प्रतिदिन एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में अपनी जान वंगारी पड़ती है, प्रतिदिन चार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस बीच सरकारी एजेंसियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि ब्लैक स्पॉट पर उठाए गए कदमों से आकस्मिक मौतों में कमी आई है।

हाईकोर्ट पुलिस ने हादसों के आंकड़े जारी किए हैं। इस साल जनवरी से मार्च तक पुणे शहर में 382 हादसे हुए और इनमें 92 लोगों की मौत हो गई। पिछले वर्ष की इसी अवधि में तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या में 77 की वृद्धि हुई है और अप्रैल से 13 की कमी आई है। इस साल जनवरी से मार्च के बीच पुणे के ग्रामीण इलाकों में 507 हादसे हुए हैं और 221 लोगों की मौत हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 84 की वृद्धि हुई है।

इस पृष्ठभूमि में बोलते हुए, प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजीव भोर ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लैकस्पॉट को संबोधित करने के लिए उपायों की मांग की जा रही है।

इस पृष्ठभूमि पर बोलते हुए, प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि काले लोडकों के लिए उपायों की मांग की गई। इसके बाद तुरंत उठाए जाने वाले कदमों की योजना तैयार की गई। इस योजना के अनुसार, प्रमुख सड़कों पर तकाल उपाय किए गए हैं।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें खोंची और उन्हें कैपस के बाहर एक मेल फ्रेंड के साथ उड़ाया। संस्थान ने जांच की और बाद में शिकायत के साथ पुलिस से संपर्क किया। शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि हमने कुछ तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रा और उसके मेल फ्रेंड के खिलाफ भारतीय दंड सहित और इन्फोर्मेंशन एंड टेलीकॉलोजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, लोडकी ने अपने हॉस्टल रूममेट्स की तस्वीरें देखीं। लेकिन पाया गया कि वे तस्वीरें अपत्तिजनक नहीं थीं, हालांकि इन तस्वीरों को मेल फ्रेंड के बाहर शेयर किया



रिश्वत कांड के बाद पुरातत्व विभाग प्रशासन चर्चा में है

नासिक : डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत के मामले में पुरातत्व विभाग की सहायक निदेशक आरी आले और पुरातत्व निदेशालय की निदेशक तेजस गांगे के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने मामला दर्ज किया है। शहर में कई वर्षों से चल रहे सुन्दर नारायण मंदिर, जिले के हेमाडपंथी मंदिर, देवस्थान आदि मंदिरों के मरमत कार्य को लेकर पुरातत्व विभाग के कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं। पुरातत्व विभाग छह साल से अधिक समय से संडे पार्टेनर के पास सुन्दर नारायण मंदिर के पुरानी मांग पर काम कर रहा है। कोरोना के जबाबदा के बाद इसके बाला मामला सम्पूर्ण हो गया है। इस कटेनर को 2022 में जब्त कर शिवडी के एक गोदाम में रखा गया था। इस मामले में कस्टम विभाग ने शिवडी पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। मंदिर के खिलाफ को नीचे उत्तरते समय मंदिर पर लगे सुन्दर नवकाशी वाले पत्थर, मार्दार्शक पत्थर गायब हैं। कहते हैं कि सुन्दर पत्थर, मूर्ति विक गये। जब हमने इस बात में स्थानीय संबंधित विभाग से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ पत्थर पंडावली में हैं।

कस्टम विभाग द्वारा जब्त किए गए कंटेनर से 42 लाख के कपड़े की चोरी



मुंबई : कस्टम द्वारा चोरी कर चीन से आए एक कंटेनर से 42 लाख के कपड़े चोरी होने का चौकाने वाला मामला सम्पूर्ण हो गया है। इस कटेनर को 2022 में जब्त कर शिवडी के एक गोदाम में रखा गया था। इस मामले में कस्टम विभाग के गोदाम में रखा गया था। आशंका है कि 10 फरवरी 2022 से 9 अक्टूबर 2023 के बीच किसी अज्ञात चोर ने गोदाम में घुसकर चोरी की। जनवरी से जून 2022 के बीच गांव में बाहर से विभिन्न कपड़नियों के आठ कंटेनर आए। सीमा शुल्क का भुगतान करने पर कंटेनर और उसकी मामला दर्ज कर लिया गया।

चन्द्रशेखर रासविहारी सिंह सीमा शुल्क विभाग, पर्वडे में मूल्यांकन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में वह शिवडी में एमओडी को जब्त कर लिया गया।

एमबीपीटी में है। फरवरी 2022 को चीन से आया तिकंपनी के वरिष्ठ अधिकारी मैके पर पहुंचे और पुरे मामले की जांच की। पता चला कि पिछो से डेढ़ साल में 42 लाख 42 हजार 104 रुपये के कपड़े चोरी हो गये। इस संबंध में एक प्रिपोर्ट बाद में वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गई। इन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए बद्रशेखर सिंह को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद उन्होंने शिवडी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है।

मुंबई : रासविहारी सिंह सीमा शुल्क विभाग, पर्वडे में मूल्यांकन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में वह शिवडी में एमओडी को जब्त कर लिया गया।

को बीमार कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। हमारी मदद के लिए कोई नहीं होय। नये मतदाता अनिल पांडे ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि सवाल है कि वोट दें या नहीं। बुजुर्गों के साथ-साथ बच्चों का भी ख्याल रखना जरूरी है।

माहूल क्षेत्र की हवा इस समय प्रदूषित है। इसका असर बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक पर पड़ रहा है। अस्थामा, ल्वच पर दाग जैसे विभिन्न लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लोकमान्य तिलक अस्पताल के डॉक्टर ने कहा, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों का ख्याल रखना जरूरी है। सविता यादव ने कहा।

मुंबई : पीड़ितों के लिए इमारतों का निर्माण किया है; हालांकि, वहां रहने वाले ढाँचे की कमी के कारण माहूल निवासियों को जीवन रुक गया है। अभी तक हमारे सवालों का समाधान जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया है। वे केवल हमारी राय पूछते आते हैं; लेकिन माहूल के नाराज नागरिक पूछ रहे हैं कि क्या समस्या का समाधान कौन करेगा। चेंबूर के वाशी नाका, माहूल गांव इलाके में टाटा पावर, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी पेट्रोलियम कंपनियां हैं। ये कंपनियां लगातार खाने में खाली गेहूं मिला रही हैं। इसपर शस्त्र संबंधी विकार, अस्थामा, त्वचा का काला पड़ा, पेट सहमत हुए हैं कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है। लेकिन, प्रशासन इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उत्पन्न कराने में अब तक विफल रहा है। यहां के निवासियों का कहना है कि वे जहरीली गैस, बदबू, प्रदूषित पानी और बायू प्रदूषण से जान बचाकर जी रहे हैं। हरित मध्यस्थ और न्यायालय इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है। लेकिन, प्रशासन इस बात को नजर नहीं देता करता नजर आ रहा है। जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो दर्द, फंगल रोग, अंखों में जलन आदि जैसी स्वास्थ्य समस्याओं में भारी बुद्धि के लोगों तक पहुंच रहे हैं।

वोट देना है या नहीं देना है? प्रदूषण कई वर्षों से एक समस्या बनी हुई है। बायू प्रदूषण से मेरे पिता

नगर नियम के वर्षा जल चैनल विभाग के माध्यम से महानगर के बड़े नालों से कीचड़ निकाली जाती है। चुनाव के कारण जन प्रतिनिधियों ने इस कार्य की उंपेक्षा की है। फिलहाल चुनाव प्रचार जारी है, ऐसे में सभी पार्टीयों के प्रतिनिधि जोन-शेरों से प्रचार में जुटे हुए हैं। उधर, नगर नियम ने नाला सफाई कार्य में लापत्ता वाले ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई की है। अलग-अलग ठेकेदारों पर 33 लाख 83 हजार का जुमारा लगाया गया है। अमातृपत्र पर मई में जब बरसत का मौसम आता था तो नाला सफाई कार्य को लेकर नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दोर सुनने को मिलता था। नाला सफाई कार्यों की अवसर सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा जांच की जाती है। लेकिन इस साल कोई भी राजनेता इस काम को देखने

में लगा हुआ है। उधर, नगर नियम प्रशासन का कहना है कि नाला सफाई कार्य में लापत्ता वाली बरती जा रही है। नगर नियम प्रशासन ने 15 मार्च से 29 अप्रैल के बीच बड़े नालों से कीचड़ निकालने के 31 कार्यों में लापत्ता वाली ठेकेदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है और 30 लाख 83 हजार रुपये का जुमारा लगाया गया है। आखिर भूमण्डल कार्रवाई की जाती है। अलग-अलग ठेकेदारों के बीच बरसत का मौसम आता था तो नाला सफाई कार्य को लेकर नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दोर सुनने को मिलता था। नाला सफाई कार्यों की अवसर सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा जांच की जाती है। लेकिन इस साल कोई भी राजनेता इस काम को देखने

में लगा हुआ है। उधर, नगर नियम प्रशासन का कहना है कि नाला सफाई कार्य में लापत्ता वाली बरती जा रही है। नगर नियम प्रशासन ने 15 मार्च से 29 अप्रैल के बीच बड़े नालों से कीचड़ निकालने के 31 कार्यों में लापत्ता वाली ठेकेदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है और 30 लाख 83 हजार रुपये का जुमारा लगाया गया है। आखिर भूमण्डल कार्रवाई की जाती है। अलग-अलग ठेकेदारों के बीच बरसत का मौसम आता था तो नाला सफाई कार्य को लेकर नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दोर सुनने को मिलता था। नाला सफाई कार्यों की अवसर सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा जांच की जाती है। लेकिन इस साल कोई भी राजनेता इस काम को देखने

15 करोड़ की कोकीन के साथ विदेशी नागरिक गिरफ्तार

मुंबई : राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने ड्रा टस्करी के सदैह में 38 वर्षीय एक विदेशी नागरिक के हासिलत में लिया है। विदेशी नागरिक के पेट से कोकीन से भरे 77 कैप्सूल बरामद हुए, इस कोकीन की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है। इस मामले में आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया और डीआरआई इस संबंध में आगे की जांच कर रही है। विदेशी नागरिक का नाम डेनिस (58) है और वह नाहीरिया का मूल निवासी है। वह आईपीटी पासपोर्ट पर यात्रा कर रहा था। डेनिस 6 मई को कोचीन से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। उसे तस्करी के दौरान डेनिस ने कोकीन होने का बात समझ आई। जब जब्त की जांच कराने का वजन 1,468 ग्राम है और इसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये है। मुख्य आरोपी ने उसे कोकीन और हवाई जहाज के टिकट दिए। पूछताछ के दौरान डेनिस ने कोकीन को मुंबई ले जाने के लिए भुगतान करने की बात स्वीकार की थी। उनकी आरोपित विदेशी नागरिकों ने उसे कोकीन और हवाई जहाज के टिकट दिए। लेकिन किसी के पावर में छोटे बच्चे की मौत से परिवार को मानसिक और आधिकारिक शक्ति होती है.. मानखुद्दे के महाराष्ट्र नगर इलाके में हुई घटना से फहल अग्र मनप्राप्तान ने अवैध फेरीबालों के खिलाफ कार्रवाई की होती हो ऐसी घटना नहीं होती.. हालांकि, महाराष्ट्र शहर क्षेत्र में हुई इस घटना का मतलब है कि भोक्से की मौत हो गई, गोरेगाव में कुछ दिन पहले शोरमा खाने से 12 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में छह लोग जहर खा गए थे, सौभाग्य से इस घटना में एक पूर्व डिवीजन के स्वास्थ्यकार्यालय आयुर्वेदिक आयुर्कोश को एक बालवान में ऐसे गोरेगाव में कुछ दिन पहले शोरमा खाने से 12 लोग जहर खा गए थे, सौभाग्य से इस घटना में एक पूर्व डिवीजन के स्वास्थ्यकार्यालय आयुर्वेदिक आयुर्कोश को एक बालवान में ऐसे गोरेगाव हालांकि, जिम्मेदारी इमानदारी से नियमाई होती हो ऐसी घटना नहीं होती.. हालांकि, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान प्रथमेश भोक्से के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी इमानदारी से नियमाई होती हो ऐसी घटना नहीं होती.. हालांकि, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान प्रथमेश भोक्से के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाना नहीं गया। मुंबई नगर पालिका के रूप में जानी जाती है। ऐसी घटनाओं के बाद नगर पालिका के रूप में जानी जाती है कि मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

मुंबई : हर साल बारिश के बास्तविक आयाम से पहले नगर नियम के वर्षा जल चैनल विभाग के माध्यम से महानगर के बड़े नालों से कीचड़ निकाला जाती है। चुनाव के कारण प्रतिनिधियों ने इस कार्य की उंपेक्षा की है। फिलहाल चुनाव प्रचार जारी है, ऐसे में सभी पार्टीयों के प्रतिनिधि जोन-शेरों से प्रचार में जुटे हुए हैं। उधर, नगर नियम ने नाला सफाई कार्य में लापत्ता वाले ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई की जारी है और गोरेगाव ने हाल ही में नाला सफाई कार्य का निरीक्षण किया। मुंबई में वर्षा के बीच बड़े नालों से उठाने के लिए आवश्यक कीचड़ की मात्रा का अध्ययन किया जाता है और गाद उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस साल मानसून से पहले कुल 10 लाख 21 हजार 782 मीट्रिक टन कीचड़ निकाली जा चुकी है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन. के, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रुम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई: 400016 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com

www.rokthoklekaninews.com facebook@rokthoklekhani youtube@rokthoklekhani twitter@rokthoklekhani